

आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 06.05.2026

समय : 0705



1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 प्रावधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य।
2. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टार्स ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन हार्बर फेरी टिकट आज से प्रणाली शुरू।
3. जहाजरानी सेवा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर उम्मीदवारों और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है।
4. खेल एवं युवा मामले विभाग की ओर से 45 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर अब 8 मई से आयोजित होगा।



अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि द्वीप समूह में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। द्वीप समूह के सभी निवासियों, संस्थानों, थोक उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, निजी संगठनों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और ई-कचरे का व्यवसाय करने वाली फर्मों के लिए जारी किए गए नियमों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के ई-कचरे को केवल अनुमोदित और अधिकृत माध्यमों से ही एकत्र कर देश के किसी भी क्षेत्र में स्थित अधिकृत उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं तक पहुँचाया जाना चाहिए। मंत्रालय के अनुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई-कचरे का परिवहन नियमों के तहत निर्धारित मेनिफेस्ट सिस्टम के अनुसार ही किया जाएगा। ई-कचरे के अंतर-राज्यीय परिवहन के लिए अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। थोक उपभोक्ताओं को केवल पंजीकृत रिसाइकलर्स और अधिकृत एजेंसियों के साथ ही काम करना होगा। ई-कचरे के अनौपचारिक संग्रह, नवीनीकरण या पुनर्चक्रण पर पूर्ण प्रतिबंध है। सभी निर्माताओं, उत्पादकों और रिसाइकलर्स को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल [eprewaste.cpcb.gov.in](http://eprewaste.cpcb.gov.in) पर पंजीकरण करना और अपने वार्षिक लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य है। नागरिकों से कहा गया है कि यदि कोई अवैध रूप से ई-कचरे का निपटान या प्रसंस्करण करता पाया जाता है, तो इसकी सूचना ANPCC को दी जा सकती है। उल्लंघन करने पर पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



जहाजरानी सेवा निदेशालय ने स्टार्स ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डेली हार्बर फेरी टिकट प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा और हार्बर क्षेत्र में फेरी सेवाओं की दक्षता बढ़ाना है। यात्री अब श्री विजयपुरम के सभी परिचालन हार्बर फेरी मार्गों के लिए एकतरफा और आने-जाने के टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से बुक किए गए टिकट केवल जारी होने की तारीख पर एक यात्रा के लिए मान्य होंगे। मासिक पास की सुविधा को जारी रखते हुए, अब यात्री अपने पास का ऑनलाइन नवीनीकरण भी कर सकते हैं। सुरक्षा और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, सभी ई-टिकट और मासिक पास पर एक यूनिक क्यू आर कोड होगा, जिसे जेटी पर चेकिंग इंस्पेक्टर मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्कैन कर सत्यापन करेंगे। यात्री विभाग के आधिकारिक ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सेवा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।



टीबी मुक्त भारत अभियान – 100 दिवसीय अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक लोग टीबी का शीघ्र निदान, उपचार, समय पर जाँच, इलाज का महत्व, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी, खाँसते या छींकते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ, टीबी से जुड़े भ्रम और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, निष्कय मित्र सहायता जैसे विषयों पर रील बना सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी 10 मई तक पंजीकरण करा सकते हैं। रील 11 से 30 मई तक जमा किए जा सकते हैं। विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विस्तृत नियमों व दिशा-निर्देशों के लिए क्यू आर कोड स्कैन किया जा सकता है।



वन विभाग की ओर से दक्षिणी द्वीप समूह में आयोजित की जा रही भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर, जहाजरानी सेवा निदेशालय ने उम्मीदवारों और यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से दूरदराज के और दक्षिणी क्षेत्रों के पात्र उम्मीदवारों के लिए समान अवसर और पहुंच सुनिश्चित करना है। जहाज एम.वी. कालीघाट कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान, कार निकोबार, चौरा, तेरेसा, कच्छाल और ननकौड़ी होते हुए कैम्पबेल बे के लिए रवाना होगा और 9 मई को दोपहर 12 बजे कैम्पबेल बे से उन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। इस

यात्रा के लिए टिकट आज सुबह नौ बजे से जारी किए जाएंगे। टिकट विभाग के ई-टिकटिंग पोर्टल के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए पोर्टल से सीधे जुड़ने वाला क्यू आर कोड भी उपलब्ध है।



खेल एवं युवा मामले निदेशालय, अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद, शिक्षा विभाग और विभिन्न खेल संघों के समन्वय से नेताजी खेल परिसर में 45 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। आज के बजाय यह शिविर अब 8 मई से 24 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, साइक्लिंग, शतरंज, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस जैसे विभिन्न खेल विधाएं शामिल हैं। सभी पंजीकृत छात्रों को सुबह 9 बजे उद्घाटन सत्र के लिए नेताजी स्टेडियम में उपस्थित रहने को कहा गया है।



अभिलेखागार विभाग की ओर से इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक अल्पकालिक इंटरशिप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षित इंटरन के माध्यम से अभिलेखागार के चल रहे कार्यों को मजबूती प्रदान करना और छात्रों को अभिलेखागार प्रबंधन की जानकारी देना है। इंटरशिप की अवधि तीन महीने की होगी। प्रदर्शन के आधार पर या अभिलेखागार सचिव के अनुमोदन पर इसे अगले तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में बी.ए. की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं, जिन्होंने वर्तमान या पिछले दो शैक्षणिक वर्षों में अपनी डिग्री पूरी की है। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। कुल 10 इंटरन नियुक्त किए जाएंगे, उन्हें 10 हजार रुपये प्रति माह का वजीफा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 10 मई तक सादे कागज पर पूर्ण विवरण सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ सहायक सचिव, अभिलेखागार के पते पर जमा कर सकते हैं।



### समाचार पत्रों की सुर्खियां

पोर्ट मोट स्थित जिला परिषद विवेकानन्द केन्द्र विद्यालय में उप-राज्यपाल द्वारा एकनाथ रानाडे असेंबली हाल का उद्घाटन करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने प्रमुखता से सचित्र प्रकाशित किया है। इस खबर के अलावा द्वीप समाचार ने ग्रेट निकोबार परियोजना: भारत के समुद्री उदय की आधारशिला

सुर्खी के साथ समाचार को प्रकाशित किया है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने मध्योत्तर अंडमान में लगातार बिजली कटौती से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को हो रही समस्याओं के समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इंडो इंडिया ने खालसा पब्लिक स्कूल में बाल यौन शोषण, एनडीपीएस और बाल अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार को अपने अखबार के मध्य में जगह दी है, जबकि जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा डेली हार्बर फेरी के लिए ऑनलाइन ई-टिकट प्रणाली शुरू करने के समाचार को द इको ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

